

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस.)
(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत सेड़वा)

राजस्व आवेदन सं. 36 / 2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी अकबर पुत्र श्री सजन बनाम तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थी अकबर पुत्र श्री सजन निवासी आलू का तला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का चिचड़ासर, राजस्व गांव आलू का तला के खाता संख्या 2 के खसरा संख्या 385/150 रकबा 2.6709 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम जमाबन्दी सवत् 2075-78, में उनका नाम अकबर खा पुत्र श्री सजनखा राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है जबकि उनका शुद्ध नाम अकबर खा पुत्र श्री सजनखा के स्थान पर अकबर पुत्र श्री सजन है इस तरह उनका नाम अकबर खा पुत्र श्री सजनखा के स्थान पर अकबर पुत्र श्री सजन दुरुस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी अकबर पुत्र श्री सजन का पटवार हल्का चिचड़ासर, राजस्व गांव आलू का तला के खाता संख्या 2 के खसरा संख्या 385/150 रकबा 2.6709 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम जमाबन्दी सवत् 2075-78, में प्रार्थी का नाम अकबर खा पुत्र श्री सजनखा के स्थान पर अकबर पुत्र श्री सजन करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।



(बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
(पीठासीन अधिकारी)
(SDO) सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सेड़वा
दिनांक : 29/01/26

क्रमांक:- 79-81

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी अकबर पुत्र श्री सजन निवासी गांव आलू का तला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

